पत्रांकः–भवन/बजट–46–विविध (प०नि०वि०)–27/2025–26.....10602 (भ)

बिहार सरकार

भवन निर्माण विभाग

सेवा में,

महालेखाकार (ले. एवं हक) बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

पटना, दिनांकः– 12/11/26

विषयः– पथ निर्माण विभाग की योजना के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2026–27 में कुल ₹ **82,76,718/– (बेयासी लाख छिहत्तर हजार सात सौ अठारह रूपये)** मात्र के व्यय की स्वीकृति।

आदेशः– स्वीकृत।

विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत भवन प्रमंडल संख्या–03, पटना द्वारा PMIS के माध्यम से समर्पित ऑनलाईन अधियाचना पर संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता द्वारा की गयी अनुशंसा के आलोक में पथ निर्माण विभाग की योजना के क्रियान्वयन हेतु निम्न् विवरणीनुसार ₹ **82,76,718/– (बेयासी लाख छिहत्तर हजार सात सौ अठारह रूपये)** मात्र के व्यय की स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2026–27 में प्रदान की जाती हैः–

क्र	भवन प्रमंडल का नाम'	अधियाचना आई०डी० संख्या	योजना का नाम	स्वीकृत्यादेश संख्या/ दिनांक	वर्ष 2026–27 में व्यय हेतु स्वीकृत कुल राशि
1.	विद्युत भवन प्रमंडल संख्या–03, पटना	34649	SITC of Audio, Visual System for Confrence Hall of RCD at First Floor of Vishweshwaraiya Bhawan	8262/ 27.09.25	₹ 82,76,718/– (बेयासी लाख छिहत्तर हजार सात सौ अठारह रूपये)

2. राशि का व्यय मांग संख्या–41 के मुख्यशीर्ष–5054–सड़को तथा सेतुओं पर पुँजीगत परिव्यय, उपमुख्यशीर्ष–03–राज्य राज़मार्ग, लघुशीर्ष–337–सड़क निर्माण कार्य, उपशीर्ष–0102–वृहद् सड़के, विपत्र कोड़–41–5054033370102, विषय शीर्ष–0102.53.01–मुख्य निर्माण कार्य मद अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2026–27 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।
3. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत भवन प्रमंडल संख्या–03, पटना होंगे।
4. इस राशि की निकासी संबधित कोषागार से की जायेगी।
5. प्रस्ताव में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।
6. स्वीकृत राशि के विरूद्ध उप आवंटन की कार्रवाई सी.एफ.एम.एस. के माध्यम से की जा रही है।

12/11/26

(**राजेश कुमार सिंह**)
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांकः–10602 (भ) पटना, दिनांकः– 12/11/26

प्रतिलिपिः– सचिव (व्यय), वित्त विभाग, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, पटना/कोषागार पदाधिकारी, संबधित कोषागार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

12/11/26

सरकार के अपर सचिव।